Title: Need to appoint doctors in all the Bidi workers hospitals in Madhya Pradesh.

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर) : सभापति महोदय, केन्द्र सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा देश के उन राज्यों में जहां बड़ी संख्या में बीड़ी श्रमिक रहते हैं, बीड़ी मजदूर अस्पताल चलाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 15 लाख बीड़ी मजदूर हैं, लेकिन वहां जो बीड़ी मजदूर अस्पताल चलाए जा रहे हैं, उनमें से अधिकांश डाक्टरविहीन हैं। मैं सागर जिले से आता हूँ और सागर को छोड़कर गढ़ाकोटा, खुरई, रहली और देवरी में यही स्थिति है। इसके साथ ही दमोह जिले में दमोह, पथरिया एवं हटा में ि वगत 2 वर्षों से बीड़ी अस्पतालों में कोई डाक्टर नहीं है जबकि बीड़ी मजदूर कल्याण उपकर की राशि मजदूरों के हिस्से से काटी जाती है और वह पैसा इकट्ठा हो रहा है। केन्द्र सरकार ने बीड़ी मजदूर अस्पताल तो बनवा दिए हैं, लेकिन उनको चलाने के लिए और मजदूरों को दवाएं देने के लिए वहां कोई डाक्टर नहीं है। मध्य प्रदेश में लगभग 27 बीड़ी मजदूर अस्पताल श्रम मंत्रालय के द्वारा चलाए जा रहे हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं। अगर कहीं पर डाक्टर हैं भी तो उन्हें तीन-तीन, चार-चार अस्पतालों का चार्ज दिया गया है और इस कारण वे जिस स्थान पर पदस्थ किए गए हैं, न तो उस स्थान के साथ न्याय कर पाते हैं और न ही उस स्थान के साथ न्याय कर पाते हैं जिसके साथ उनको अटैच कर दिया गया है।

महोदय, अधिनियम में यह व्यवस्था है कि जहां पांच हजार बीड़ी श्रमिक हैं, वहां पर एक अस्पताल और डाक्टर उपलब्ध होना चाहिए। चिकित्सकों और पैरामैडिकल स्टाफ से मजदूरों का औाधीय इलाज कराने के स्थान पर ग्रामीण अंचलों में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार, आवेदन पत्रों का एकत्रीकरण, प्रामाणीकरण, आवास कुटीरों का निरीक्षण, चेक वितरण जैसे कार्यों को कराए जाने से बीड़ी मजदूर चिकित्सीय लाभ योजनाओं से वंचित हो रहे हैं।

अतः आपके माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि बीड़ी मजदूरों के लिए सागर और दमोह सहित, देश भर में और उन सभी राज्यों में जहां बीड़ी मजदूर अस्पताल चलाए जा रहे हैं, उन अस्पतालों में शीघ्रातिशीघ्र डाक्टरों की वहां जो मांग हैं, उसके अनुरूप उनकी पदस्थापना कराई जाए जिससे कि सारे देश के बीड़ी श्रमिकों को इस बीड़ी मजदूर अस्पताल योजना का लाभ मिल सके।

MR. CHAIRMAN : I presume that no hon. Member is left out.

The House stands adjourned to meet again tomorrow, the 4^{th} August, at 11 a.m.

<u>20.32 hrs.</u>

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock

on Thursday, August 4, 2005/Sravana 13, 1927 (Saka).